

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-17/विविध-01-245/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थान में कार्यरत निम्नांकित बॉण्ड से आच्छादित चिकित्सकों को कॉलम-06 में अंकित प्रयोजन हेतु विभागीय आदेश संख्या-914(1) दिनांक-06.10.2020-सह-पठित-शुद्धि पत्र संख्या-915(1) दिनांक-10.10.2020 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि नामांकन नहीं होने अथवा अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के तत्काल बाद बॉण्ड सेवा पूर्ण करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे :-

क्र० सं०	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति का पत्रांक एवं दिनांक	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4	5	6
01	SATYAM	Nov 12 1996	595(17) 05.06.2025	SDH, JAGDISHPUR, BHOJPUR	NEET-SS 2025
02	KUMAR GAURAB	Feb 25 1992	595(17) 05.06.2025	TRAUMA CENTRE, ARARIA SANGRAM, MADHUBANI	NEET-SS 2025

2. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक तथा संबंधित चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी उपर्युक्त आदेश में निहित शर्तों के आलोक में संबंधित चिकित्सक से उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु आवंटित संस्थान का साक्ष्य एवं शपथ-पत्र प्राप्त कर उच्चतर पाठ्यक्रम करने के लिए ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०-17 विविध-01-245/2025 - 85(17)

पटना, दिनांक :- 19/01/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित बॉण्ड चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- संबंधित सिविल सर्जन, बिहार/संबंधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।